न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 47/2020 – निगरानी

1. शान्ती बाई पत्नी स्व0 छीतर लाल रेगर निवासी– पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. लाड पत्नी राधेश्याम रेगर निवासी– पचानपुरा तहसील बिजौलिया
2. कमला उर्फ कमली देवी पत्नी जगदीश रेगर निवासी– पचानपुरा तहसील बिजौलिया
3. सुशीला पत्नी मदन लाल रेगर निवासी– पचानपुरा तहसील बिजौलिया
4. ग्राम पंचायत आरोली पं.सं. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच हाल बिजौलिया
5. ग्राम- पंचायत आरोली पं.सं. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत आरोली पं. सं. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा हाल बिजौलिया

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत आरोली पं.सं. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा संकल्प संख्या 05 दिनांक 20 मई 2003 पट्टा विलेख संख्या 5438

उपस्थित –

1. श्री बी. एल. वैष्णव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 1 से 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.05.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार के श्वसुर प्यारा पुत्र लक्ष्मण रेगर की पट्टेशुदा जायदाद आबादी हल्का पचानपुरा ग्राम पंचायत आरोली पं.स. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में स्थित है। गैर निगराकार संख्या 05 द्वारा संकल्प संख्या 05 दिनांक 20/05/2003 के गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में नपती 65 बाई 35 फीट का पट्टा जिसके पडौस पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम मे प्यारा का मकान, उत्तर मे राधेश्याम का प्लॉट, दक्षिण मे स्वयं का बाड़ा का पट्टा तैयार किया गया है, जो फर्जी एवं कूटरचित है, जो निगराकार के श्वसुर की पट्टेशुदा जायदाद है। जिसका गैर निगराकार संख्या 01 ने अन्य के साथ मिलकर फर्जी पट्टा तैयार किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत में भी कोई रेकार्ड नही है, जिस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02/05/2019 को प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उक्त पट्टे पर संरपच व सचिव के भी फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर है। गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा उक्त फर्जी पट्टा तैयार

अति. जिला कलक्टर

फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 04 एवं 05 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 31.07.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 29.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रश्नगत पटटा गैर निगराकार संख्या 01 को खाली आवासीय भूखण्ड का जारी किया गया, जो कि नियमानुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर से रकम राजकोष में जमा करा, पट्टा जारी करना चाहिए था, जो नही कर केवल मात्र राजकोष को हानि पहुचाने की नियत से 200/– रूपये पर पट्टा जारी किया गया, जबकि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 के पक्ष में विकयपत्र पंजीयन कराया गया, जिसमे भी उक्त भूखण्ड की मालियत 1,51,000/– रूपये है, जिससे भी स्पष्ट है कि गैर निगराकारान द्वारा आपस में मिलीभगती कर निगराकार की बहुमुल्य सम्पत्ति को हड़प करने की नियत से उक्त फर्जी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 04 एवं 05 ने गैर निगराकार संख्या 01 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से बिना मौके की जानकारी किये व बिना कोई विधिवत उदघोषणा किये ही उक्त पट्टा जारी किया है, जो खारिज होने योग्य है एवं बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये व बिना मिसल कायम किये, फर्जी पट्टा जारी किया गया, जो निगराकार के हक अधिकारों के मुकाबले शुरू से ही शून्य है, जबकि कब्जा निगराकार का आज भी बदस्तूर काबिज है। गैर निगराकार संख्या 04 एवं 05 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिए थी, जो नही कर उक्त पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 04 एवं 05 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर

विपक्षी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया निगराकार का संकल्प संख्या 5 द्वारा दिये गये पट्टेवाली जायदाद से कोई लेना–द नहीं है, न ही कभी निगराकार का इस जायदाद पर कब्जा था। गैर निगराकार संख्या ने वैध रूप से पंचायत से पट्टा जारी करवाया है जिसे निरस्त कराने का अधिक निगराकार को नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 को रूपयों की आवश्यकता होने से गै निगराकार संख्या 2 व 3 से रोकड बाजार मूल्य लेकर जायदाद गैर निगराकार को विक्र कर विक्रय का पंजीयन कराकर मौके पर कब्जा विक्रेता को दे दिया। मौके पर कब्जा गै निगराकार सं. 2 व 3 का है। निगराकर ने एक झूंठी रिपोर्ट पुलिस थाना बिजौलियां में दी थी जो झुंठी होने से गैर निगराकार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की पट्टे पर पंचायत सरपंच व सचिव के असल हस्ताक्षर है तथा पूर्ण रूप से वैध कार्यवाही कर पट्टा जारी किया है जिसे चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय जिला परिषद भीलवाडा के पत्रांक/15327 दिनांक 16.12.2019 एवं कार्यालय पंचायत समिति बिजौलिया जिला भीलवाडा के पत्रांक/1013 दिनांक 12.12.2019 अनुसार ग्राम पंचायत आरोली के संकल्प दिनांक 20.05.2003 की बैठक कार्यवाही विवरण में मात्र 02 प्रस्ताव ही अंकित किये गये हैं। उक्त दिनांक को श्रीमती लाड देवी रेगर पत्नी राधेश्याम रेगर पचानपुरा के नाम से पटटा जारी करने का अंकन नहीं पाया गया हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर दिनांक 25.03.2001 से 31.03.2005 तक श्री रामेश्वरलाल बैरवा कार्यरत रहे हैं, जिनके हस्ताक्षर श्रीमती लाड देवी रेगर के नाम से जारी पटटे पर नहीं पाये गये हैं। प्रश्नगत पटटे पर ग्राम सेवक पदेन सचिव की मुहर पर श्री नेमीचन्द के हस्ताक्षर अंकित हैं जो पटटा जारी करने की अवधि में कार्यरत नहीं थे। ग्राम पंचायत आरोली की रोकड़बही का अवलोकन करने पर उक्त प्रश्नगत पटटे का शुल्क भी जमा नहीं पाया गया हैं। ग्राम पंचायत आरोली द्वारा दिनांक 20.05.2003 को श्रीमती लाड रेगर पत्नी राधेश्याम रेगर पचानपुरा के नाम जारी पटटा प्रारब्ध से ही फर्जी प्रतीत होता है।

विपक्षी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत

समिति की उक्त जांच रिपोर्ट जिसमें बैठक कार्यवाही विवरण में संकल्प दिनांक 20.05.2003 में श्रीमती लाडदेवी का नाम अंकित नही होना एवं प्रश्नगत पटटे पर तत्कालिन पदस्थापित ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नही होने के खण्डन/अस्वीकारोक्ति में कोई तथ्य व दस्तावेज पेश नही किये गये। जिससे यह स्पष्ट होता हैं प्रश्नगत पटटा पूर्णरूपेण फर्जी/कूटरचित हस्ताक्षरों से जारी किया गया हैं एवं इस प्रकार के फर्जी/कूटरचित हस्ताक्षरों से जारी पटटे प्रारब्ध से ही शुन्य होकर खारिज होने योग्य हैं।

ग्राम पंचायत आरोली के पत्रांक/2022–23/स्पे.–52 दिनांक 16.09.2022 अनुसार प्रश्नगत पटटा विलेख संख्या 5438 की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं एवं न किसी प्रकार की राशि जमा होना व पटटा जारी होना पाया गया हैं। ग्राम पंचायत आरोली के उक्त पत्र के खण्डन में भी विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 के अधिवक्ता द्वारा कोई तथ्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत पटटा विलेख संख्या 5438 दिनांक 20.05.2003 पूर्णरूपेण फर्जी/कूटरचित हस्ताक्षरों से जारी किया जाना प्रकट होता हैं, जिससे प्रश्नगत पटटा विलेख संख्या 5438 दिनांक 20.05.2003 प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत आरोली पंचायत समिति माण्डलगढ हाल बिजौलिया के पटटा विलेख संख्या 5438 दिनांक 20.05.2003 संकल्प संख्या 05, दिनांकित 20.05.2003 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत आरोली पंचायत समिति माण्डलगढ हाल बिजौलिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा